



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए-2/ई-1/2023
दिनांक 14.08.2023

सहायक नगर नियोजक परीक्षा-2023

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 14.08.2023

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : 14.09.2023

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 14.09.2023

महत्वपूर्ण

(1)-(i) ओटीओआर0 नम्बर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीओआर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीओआर0 नम्बर प्राप्त कर लें। (iii) ओटीओ आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) "अपूर्ण आन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।"

(3) "किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।"

(4) "अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फाइल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।"

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। **(ख)** OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस अथवा e-mail द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु "O.T.R. धारित ON-LINE APPLICATION SYSTEM" लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1- आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

* ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R पंजीकरण (O.T.R. Registration) करना अनिवार्य है।

प्रथम चरण- APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number'. प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी, अभ्यर्थी को केवल सम्बन्धित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी। (ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो :- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in/>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्शन के साथ 'Fees to be

deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi Option Payment System)' का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

चतुर्थ चरण- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् अभ्यर्थी OTR Dashboard में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा, किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में 'Home Page' के 'Modify Submitted Application' में जाकर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में संशोधन कर सकते हैं।

नोट:- अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

2- आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार/उपश्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग - परीक्षा शुल्क ₹ 100/- + आनलाइन प्रक्रिया से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 125/-
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति - परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
- (iii) दिव्यांगजन - परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/-
- (iv) भूतपूर्व सैनिक - परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
- (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी

3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नोट:- पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

4. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में अंकित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रकारक) का आयोजन किया जायेगा। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता (Merit) के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

5. वर्तमान में सहायक नगर नियोजक पद की कुल रिक्तियाँ 24 हैं जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती हैं।

श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

| कुल | अनारक्षित | अनु0 जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ई0डब्ल्यू0 एस0 | भू0पू0सै0 | महिला |
|-----|-----------|-----------|------------------|----------------|-----------|-------|
| 24 | 11 | 05 | 06 | 02 | 01 | 04 |

पद की प्रकृति- समूह "ख" अराजपत्रित।

वेतनमान:- पे-मैट्रिक्स लेवल-10, (₹ 15600-39100, ग्रेड पे- 5400)

6. **आरक्षण:** उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार शैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञापन सं०-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से

ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य है को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें (क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी)।

(4) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (5) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। (6) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी। (7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमत्य नहीं है। (8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। (9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. **आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें** (केवल आयु में छूट हेतु):- आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अप्परटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

8. **वैवाहिक प्रास्थिति:-** ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

9. **शैक्षिक अर्हता:-** पद हेतु अर्हताएँ निम्नवत् हैं:-

(अ) **अनिवार्य अर्हतायें-** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा

या
निम्न संस्थाओं में से कम से कम किसी एक संस्था की निम्न संस्था की एसोसियेट सदस्यता:- (क) इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स (इण्डिया) (ख) अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (ग) इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (लन्दन)

या
इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया) या लन्दन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अर्हताएँ।

नोट:- शासन के पत्र सं०- 1454/आठ-6-22-02 टी0पी0/2017 दिनांक- 04-08-2022 द्वारा इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, लन्दन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अर्हताओं से सम्बन्धित प्लानिंग कोर्स एवं उक्त कोर्स को प्रदान करने वाली संस्थाओं की सूची संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत् है:-

मान्यता प्राप्त बैचलर/मास्टर ऑफ प्लानिंग कोर्स

| क्रमांक | विभाग का नाम, संस्थान और विश्वविद्यालय | पाठ्यक्रम का नाम / आईटीपीआई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम | मान्यता का वर्ष | | अब जवाहरलाल नेहरू वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय (JNAFAU) 2008 में स्थापित | बी.टेक (प्लानिंग) | 2011 के बाद से | मर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |
|---|--|---|--|-----|---|--|----------------------------------|--|
| 1. | इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया (आईटीपीआई), नई दिल्ली। | एसोसिएटशिप परीक्षा | 1952 | 11. | वास्तुकला और योजना विभाग मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल | 1. मास्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग 2. मास्टर ऑफ प्लानिंग (हाउसिंग) 3. बैचलर ऑफ प्लानिंग (बी.प्लान) | 1996 2009 2019 | <p>* नोट:- आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएँ पूर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>10. आयु सीमा- (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।</p> <p>ऐसा अभ्यर्थी जो अपनी आयु के सम्बन्ध में ऐसे किसी वर्ष में जिसमें कोई चयन न किया जाए किन्तु कोई रिक्ति रही हो, किसी चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार या, अपनी आयु के सम्बन्ध में अगले चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जाएगा।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के बिन्दु-11 (आयु) के उपबिन्दु- (1) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मिकों को आयु सीमा के सम्बन्ध में निम्नानुसार छूट अनुमत्य है:-</p> <p>ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसने विकास प्राधिकरण की किसी सेवा में एक वर्ष या अधिक की सेवा पहले ही कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष, जितनी उसने निरन्तर सेवा की हो या सात वर्ष की अवधि के लिये, इसमें जो की कम हो, अधिक होगी।</p> |
| 2. | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेन्स) | 1. मास्टर्स डिग्री इन (अर्बन रीजनल प्लानिंग), (हाउसिंग एंड कम्युनिटी (प्लानिंग) और (ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग) 2. मास्टर ऑफ प्लानिंग (हाउसिंग) 3. मास्टर ऑफ प्लानिंग (ट्रांसपोर्ट प्लानिंग) 4. मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन प्लानिंग) 5. मास्टर ऑफ प्लानिंग (रीजनल प्लानिंग) 6. मास्टर ऑफ प्लानिंग (पर्यावरण प्लानिंग) 7. बैचलर ऑफ प्लानिंग | 1981 से 1984 1985-86 1985-86 1987-88 1987-88 1990-91 1989-90 | 12. | सिविल इंजीनियरिंग विभाग, स्नातकोत्तर अनुभाग (शहरी नियोजन सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत (गुजरात) | मास्टर ऑफ टाउन एंड रीजनल प्लानिंग अब एम.टेक (अर्बन प्लानिंग) | 2005 | |
| 3. | आर्किटेक्चर और क्षेत्रीय योजना विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) | 1. मास्टर ऑफ रीजनल प्लानिंग 2. मास्टर ऑफ सिटी प्लानिंग | 1965 से 1992 1956 के बाद | 13. | स्कूल ऑफ प्लानिंग, भईकाका सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, अरविंदभाई पटेल पर्यावरण डिजाइन संस्थान, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर | मास्टर ऑफ अर्बन प्लानिंग मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग) | 2005 2015 | |
| 4. | इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ डिजाइन, अब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर | 1. मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग (MURP) 2. एम.टेक. (अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग) | 1979 से 2006 2006 के बाद | 14. | वास्तुकला विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज तिरुवनंतपुरम (केरल) केरल विश्वविद्यालय अब अफलाइटेड ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल 2016 के बाद से। | मास्टर ऑफ हाउसिंग एम. प्लानिंग (हाउसिंग) | 1989 से 1998 1999 के बाद | |
| 5. | टाउन प्लानिंग सेक्शन, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, [वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। पुणे (1911 से 2003), पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (2003 से 2006) अब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे (2006 से)]। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (पूर्व में पुणे विश्वविद्यालय) | 1. एम.ई सिविल (टी एंड सीपी) 2. एम.टेक सिविल (टी एंड सीपी) 3. एम. प्लान (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) 4. बी. प्लान | 1966 से 2003 2004 से जून, 2018 जुलाई, 2018 से 2016 | 15. | वास्तुकला और योजना विभाग, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (राजस्थान) | मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन प्लानिंग) | 2012 | |
| 6. | फैकल्टी ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक पॉलिसी, सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (सीईपीटी), अहमदाबाद | 1. पी0जी0 डिप्लोमा इन हाउसिंग (अब मास्टर आफ हाउसिंग) 2. मास्टर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट 3. मास्टर ऑफ प्लानिंग (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग) 4. मास्टर ऑफ प्लानिंग (इंडस्ट्रियल एरिया प्लानिंग एंड मैनेजमेंट-आईएपीएम) 5. मास्टर ऑफ रूरल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (आरपीएम) 6. बैचलर ऑफ प्लानिंग | 1989 2010 2010 2012 2012 2014 | 16. | स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल, मध्य प्रदेश | 1. मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग) 2. मास्टर ऑफ प्लानिंग (एनवायर्नमेंटल प्लानिंग) 3. बैचलर ऑफ प्लानिंग | 2012 2016 | |
| 7. | गुरु रामदास स्कूल ऑफ प्लानिंग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर-पंजाब) | 1. एम.टेक. (अर्बन प्लानिंग) 2. मास्टर ऑफ प्लानिंग (इन्फ्रास्ट्रक्चर) 3. बी.टेक. (अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग) अब बैचलर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग) | 1996 2010 1991 | 17. | स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश | 1. मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग 2. मास्टर ऑफ (एनवायर्नमेंटल प्लानिंग) 3. बैचलर ऑफ प्लानिंग | 2016 2016 2013 | |
| 8. | आर्किटेक्चर विभाग, टाउन एंड रीजनल प्लानिंग, बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, (पश्चिम बंगाल) अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, (IIEST), शिबपुर | मास्टर ऑफ टाउन एंड रीजनल प्लानिंग | 1984-85 | 18. | वास्तुकला विभाग दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा) | मास्टर ऑफ अर्बन एंड रूरल प्लानिंग अब मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग) | 2010 से जून, 2018 जुलाई, 2018 | |
| 9. | वास्तुकला और योजना विभाग, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (वीएनआईटी), नागपुर, महाराष्ट्र | एम.टेक. (अर्बन प्लानिंग) | 1985-86 | 19. | वास्तुकला और योजना विभाग, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची (एमईएसआरए), झारखंड | मास्टर इन अर्बन प्लानिंग | 2007 | |
| 10. | शहरी और क्षेत्रीय योजना विभाग मास्टर ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद (एपी), | मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग एम.टेक. (प्लानिंग) बैचलर ऑफ प्लानिंग | 1992 2009 के बाद से 2000 | 20. | वास्तुकला विभाग, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संकाय, महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (गुजरात) | मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग | 2015 | |
| | | | | 21. | लवली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा, पंजाब | एम. प्लान (अर्बन प्लानिंग) बैचलर ऑफ प्लानिंग (बी प्लानिंग) | 2016 2016 | |
| | | | | 22. | वास्तुकला और योजना विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल | मास्टर इन प्लानिंग (अर्बन प्लानिंग) | 2017 | |
| | | | | 23. | इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात | बैचलर ऑफ प्लानिंग (बी प्लानिंग) | 2017 | |
| | | | | 24. | गुवाहाटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी। | मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग) | 2018 | |
| | | | | 25. | हिंदू कॉलेज ऑफ डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग (HICDAP), दीनबंधु छोटू राम विज्ञान विश्वविद्यालय और (मुसीपी) प्रौद्योगिकी, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा | मास्टर ऑफ अर्बन एंड रूरल प्लानिंग (MURP) | 2019 | |
| | | | | 26. | एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, गुरुग्राम एमिटी यूनिवर्सिटी, हरियाणा। | मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एंड रीजनल) बैचलर ऑफ प्लानिंग | 2020 2020 | |
| | | | | 27. | इंदुभाई पारेख स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट। | मास्टर इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग | 2020 | |
| | | | | 28. | सुशांत स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सुशांत विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा | मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन प्लानिंग) | 2020 | |
| (ब) अधिमान अर्हताएँ - अन्य शर्तों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी | | | | | | | | <p>पद की संगत सेवा नियमावलि</p> <p>● उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985.</p> <p>● उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1987.</p> <p>● उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1997.</p> <p>● उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2000.</p> <p>● शासन के पत्र सं.- 1454/आठ-6-22-02 टी0पी0/2017 दिनांक-04-08-2022 द्वारा समकक्षता का निर्धारण।</p> <p>11. सहायक नगर नियोजक मुख्य (लिखित) परीक्षा 2023 के संबंध में कतिपय सूचनायें:- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे जिसके लिये आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 200/- एवं आन-लाईन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 225/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति / उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80/- एवं आन-लाईन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 105/- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / महिला / उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ी के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) सहायक नगर नियोजक मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट / जमा करना होगा। (3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिये आवंटित किया गया है। (4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>नोट:- सहायक नगर नियोजक मुख्य (लिखित) परीक्षा 2023 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p>12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:- (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है।</p> <p>(2) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तितगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात Dashboard पर Sync. करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार / संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत / भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा) के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र / अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शाारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम,</p> |

2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R./Application ID Number, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को काला करके सही-सही भरें क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर गोलों में भरी गयी सूचनाएँ, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें, ही आयोग द्वारा स्वीकार की जाएंगी। इन्हें रिक्त छोड़ना अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को ह्वाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी। 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। (21) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो। (22) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटस्थित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। (23) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्रस्तावक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।
5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
6- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
7- यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
8- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-1 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।
Detailed Application Form:
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.
Notification Details
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name
Personnel Details from OTR
This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.
Education & Experience Details
It shows your educational and experience details
Declaration segment
At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.
[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]
For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS
• All Notification/Advertisements
:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION
• Candidate Registration
• Fee Deposition /Reconciliation
• Submit Application Form
• Modify Submitted Application
• Candidate Dashboard (OTR Based)
:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION
• Double Verification mode
• View Application Status
• Download Admit Card
• Print Duplicate Registration Slip
• Print Detailed Application Form
• List of Applications Having ANY Objections
• View Answer Key
LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

| | |
|--|--|
| परिशिष्ट-1 | |
| जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:- (1) प्रयागराज, (2) लखनऊ । | |
| परिशिष्ट-2 | |
| उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र | |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक पूरा नाम..... मुहर पद नाम..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। | |
| उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र | |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार। | |
| (प्रपत्र-I) | |
| उत्तर प्रदेश सरकार | |
| कार्यालय का नाम..... | |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र | |
| प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक | |
| वित्तीय वर्ष के लिए मान्य | |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री श्री ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य..... पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार। | |
| (प्रपत्र-II) | |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र | |
| मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ग्राम/कस्बा | |

पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक

तहसील जिला राज्य

ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

दिनांक:-

उपरो के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is

(C) he/she has% (in figure)percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority Issuing certificate |
|--------------------|---------------|--|
| | | |

3. Signature and seal of the Medical Authority.

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| (Dr.....) | (Dr.....) | (Dr.....) |
| Member | Member | Chairperson |
| Medical Board | Medical Board | Medical Board |
| with seal | with seal | with seal |

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/ female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/ Street Post Office District State, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

| S. N. | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment/ mental disability (in%) |
|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy cured | | | |
| 4. | Dwarfism | | | |
| 5. | Cerebral Palsy | | | |
| 6. | Acid attack Victim | | | |
| 7. | Low Vision | # | | |
| 8. | Blindness | # | | |
| 9. | Deaf | £ | | |
| 10. | Hard of Hearing | £ | | |
| 11. | Speech and Language disability | | | |
| 12. | Intellectual Disability | | | |
| 13. | Specific Learning Disability | | | |
| 14. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 15. | Mental illness | | | |
| 16. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 17. | Multiple sclerosis | | | |
| 18. | Parkinson's disease | | | |
| 19. | Haemophilia | | | |
| 20. | Thalassemia | | | |
| 21. | Sickle Cell disease | | | |

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority Issuing certificate |
|--------------------|---------------|--|
| | | |

5. Signature and seal of the Medical Authority.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | |
| Name and Seal of Member | Name and Seal of Member | Name and Seal of the Chairperson |

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/ female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/ Street Post Office District State, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:-

| S. N. | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment/ mental disability (in%) |
|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy cured | | | |
| 4. | Cerebral Palsy | | | |
| 5. | Acid attack Victim | | | |
| 6. | Low Vision | # | | |
| 7. | Deaf | £ | | |
| 8. | Hard of Hearing | £ | | |
| 9. | Speech and Language disability | | | |
| 10. | Intellectual Disability | | | |
| 11. | Specific Learning Disability | | | |
| 12. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 13. | Mental illness | | | |
| 14. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 15. | Multiple sclerosis | | | |
| 16. | Parkinson's disease | | | |
| 17. | Haemophilia | | | |
| 18. | Thalassemia | | | |
| 19. | Sickle Cell disease | | | |

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary or

(ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye/both eyes

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Name and Seal of Member | Name and Seal of Member | Name and Seal of the Chairperson |
|--------------------------------|--------------------------------|---|

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासकीय रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम..... तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासकीय रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक: पूरा नाम

| | | |
|--|--|--|
| <p>पदनाम मुहर जिलाधिकारी..... सील.....</p> | <p>प्रारम्भिक परीक्षा: 1- प्रश्न-पत्र - एक 2- प्रश्नों की संख्या - 150 (नगर एवं ग्राम नियोजन के 100 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न) 3- कुल अंक - 300 (प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा) 4- समय/वधि - 02 घण्टे</p> | <p>पारिस्थितिक/ऊर्जा निर्धारक, शहर की कल्पनाशीलता; शहरी स्थानों की संरचना - गतिविधियों और शहरी उपयोगों के स्थानिक मानदंड, शहरी भू-उपयोग एवं पुनरुत्थान, पुनर्वास, पुनरोद्धार- अवधारणाएँ, हस्तक्षेप, प्रक्रियाएँ, अभिकल्पना दृष्टिकोण और विधियाँ, उपकरण।</p> |
| <p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर</p> | <p>मुख्य (लिखित) परीक्षा परीक्षा योजना मुख्य परीक्षा : प्रश्नपत्रों की संख्या - (02) दो प्रथम प्रश्नपत्र - सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत) 1- समय/वधि - 02 घण्टा 2- पूर्णांक - 100 अंक (सामान्य हिन्दी हेतु 50 अंक तथा निबन्ध हेतु 50 अंक निर्धारित हैं) द्वितीय प्रश्नपत्र - नगर एवं ग्राम नियोजन (परम्परागत) नगर एवं ग्राम नियोजन विषय परम्परागत प्रश्नपत्र की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् है:- 1- प्रश्नों की कुल संख्या-8 होगी। प्रश्न पत्र खण्ड-‘अ’ एवं खण्ड-‘ब’ दो भागों में विभाजित होगा। प्रश्न संख्या-1 एवं 5 अनिवार्य होंगे तथा प्रत्येक खण्ड से दो प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। तथा कुल 05 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 1- समय - 03 घण्टा 2- परम्परागत प्रश्नों की संख्या - खण्ड-‘अ’ में 04 प्रश्न खण्ड-‘ब’ में 04 प्रश्न 3- पूर्णांक - 200</p> | <p>7. जनसांख्यिकी और शहरीकरण - जनसंख्या का अध्ययन, जनसांख्यिक विश्लेषण, आवासीय प्रणालियाँ और शहरी क्षेत्र विकास की भूमिका, वैश्विक तथा भारतीय शहरीकरण परिदृश्य- प्रवृत्ति नियंत्रण हेतु नीतियाँ और रणनीतियाँ। 8. यातायात और परिवहन - शहरी संरचनाओं का मूल्यांकन, परिवहन प्रणाली का नियोजन और प्रबन्धन, क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली, परिवहन और पर्यावरण, आर्थिक मूल्यांकन और परिवहन नीतियाँ, शहरीकरण और परिवहन समस्या, यातायात प्रबन्धन, शहरी और क्षेत्रीय सड़क अभिकल्पना, सड़कों और चौराहों की ज्यामितीय अभिकल्पना, सर्वेक्षण और अध्ययन। 9. आवास और सामुदायिक नियोजन - मूलभूत मानव आवासीय आवश्यकता, आवासीय मानक, आवास क्षेत्रों का नियोजन और अभिकल्पना, आवास और विकास की वित्तीय नीतियाँ। 10. बस्ती भूगोल - बस्ती भूगोल का परिचय, बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण बस्तियाँ, शहरी बस्तियाँ। 11. अर्थशास्त्र और विकास नियोजन - विकसित, विकासशील और अल्प विकसित अर्थशास्त्र, विकास के शास्त्रीय सिद्धान्त, विकास के आधुनिक सिद्धान्त, विकास के मॉडल, विकास के मुद्दे, विकास वित्त - राज्य और नगरपालिका वित्त, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर वित्त पोषण और वित्तपोषण संस्थान, वित्तपोषण तंत्र। 12. ग्रामीण और संसाधन नियोजन - ग्रामीण नियोजन: अवधारणाएँ और संस्थागत ढांचा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नीतियों के सम्बन्ध में ग्रामीण योजना, संसाधन नियोजन विकास और प्रबन्धन, सामुदायिक विकास और भागीदारी। 13. नागरीय प्रबन्धन - विधिक ढांचा, शहरी प्रबन्धन, नागरीय प्रबन्धन में सम्मिलित संगठन, शहरी विकास में संगठनात्मक समन्वयन। 14. व्यावसायिक विधि - व्यावसायिक संस्थानों और नगर-योजनाकारों की भूमिका, वास्तविक सम्पत्ति मूल्यांकन एवं तरीके, विधिक ज्ञान, नियोजन विधि, नियोजन व्यावसायिक विधि। 15. नियोजन विधान - कानून की अवधारणा, भारतीय संविधान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तथा सम्बन्धित विधिक प्रकरण शहरी विकास कानून, नियोजन कार्यान्वयन के लिए संगठन, किराया नियंत्रण एवं पर्यावरण विधि। 16. नगर एवं महानगरीय नियोजन - मानव बस्ती नियोजन और शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी नीतियाँ, शहर - क्षेत्र लिंकेज, शहरी विकास और शहरों की प्रणाली, मेट्रो और मेगा शहर- समस्याएँ और मुद्दे। 17. आधारभूत संरचना का नियोजन - जल आपूर्ति और स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबन्धन, अग्निशमन सेवा और विद्युतीकरण, यातायात और परिवहन, सामाजिक बुनियादी ढांचा। 18. पर्यटन के लिए नियोजन - पर्यटन का परिचय, पर्यटन क्षेत्र नियोजन, पर्यटन नीतियाँ तथा नियोजन और कार्यक्रम के प्रभाव। 19. शहरी प्रशासन - शहरी शासन का विहंगमवलोकन, नगरीय स्थानीय प्रशासन, शहरी प्रशासन में भागीदारी प्रक्रिया का अवलोकन। 20. राजनीति और योजना - राजनीति और योजना, राज्य और शहर, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और नगर विकासय इंटरफेस, ऊर्जा नियोजन और प्रबन्धन तथा योजनाएँ, नीतियाँ और रणनीतियाँ। 21. आंचलिक नियोजन - भारत में विभिन्न आंचलों की अवधारणाएँ, प्रकार और वर्गीकरण और इनका नियोजन, आंचलिक भविष्य। 22. आधारभूत अवसंरचना नियोजन- आंचलिक अवसंरचना का प्रबन्धन और नियोजन के मुद्दे तथा अवसंरचना की भूमिका व आंचलिक उपयोगिता, आंचलिक अवस्थापना - महत्व एवं भूमिका, भौतिक अवसंरचना - जल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, क्षेत्रीय सम्पर्क (सड़क, रेलवे), ऊर्जा। सामाजिक अवस्थापना - स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक और मनोरंजक, आर्थिक बुनियादी ढांचा। 23. जिला आयोजना एवं ग्रामीण विकास - जिला आयोजना, ग्रामीण आयोजना एवं विकास (ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, ग्रामीण अधोसंरचना विकास), भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तनशील स्वरूप, समावेशी विकास, भागीदारी नियोजन प्रक्रिया। 24. भूमि बाजार और प्रबन्धन - भू-नीति और भूमि बाजार, आपूर्ति पक्ष प्रबन्धन (भूमि बाजारों में विनियमन, भूमि उपयोग, भूमि साझाकरण और प्रबन्धन तकनीक), मांग-पक्ष प्रबन्धन। 25. निर्धनता और विकास - निर्धनता का अध्ययन, निर्धनता के उन्मूलन के उपाय, निर्धनता के संकेतक, ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता-उन्मूलन, नीतियाँ और कार्यक्रम। 26. पर्यावरण और विकास - पर्यावरण और विकास, पर्यावरणीय जोखिम और प्रभाव। आपदा निवारण हेतु तत्परता, पर्यावरण प्रबन्धन में संस्थानों की भूमिका, आपदा न्यूनीकरण नियोजन और संसाधन प्रबन्धन, रोकथाम और शमन। 27. परिनियोजना नियोजन - परिचय, मूल्यांकन (तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक) मूल्यांकन के वाणिज्यिक पहलु, पर्यावरण परियोजना मूल्यांकन, संस्थागत, जोखिम और अनिश्चितता, वित्तपोषण के तरीके, परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन और व्यावहारिक समस्या समाधान। 28. संस्थागत विश्लेषण और प्रशासन - नियोजन संगठन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रशासकीय भागीदारी शासन, नेटवर्क प्रशासन तंत्र। 29. नियोजन सम्बन्धी विधिक पहलू - कानून का परिचय, अवधारणाएँ और महत्व, भारतीय संविधान, नियोजन का विधिक विकास (नीति, अधिनियम), भूमि विकास नियंत्रण का महत्व। 30. पुनर्स्थापन और पुनर्वास - भूमि विकास और परिणामी पुर्स्थापन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नियोजन का प्रभाव, पुनर्वास, अनुसंधान और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भागीदारी। स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (एसडीआई) - वैश्विक से स्थानीय एसडीआई अनुप्रयोगों तक, नियोजन और निर्णय समर्थन में एसडीआई आवेदन, पीजी, एसडीआई में प्रौद्योगिकी, और निर्णय समर्थन प्रणाली। 31. राजनीति और सार्वजनिक नीति - सार्वजनिक नीति विश्लेषण, सूचना युग में सार्वजनिक नीति और प्रबन्धन, सार्वजनिक नीति, राजनीति, संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में राज्य की प्रबन्धकीय भूमिका- सार्वजनिक नीति की प्रकृति और निर्माण। 32. शहरी विरासत संरक्षण - ऐतिहासिक संदर्भ में शहरी विरासत के प्रकार एवं वर्गीकरण, सूची, मानचित्रण, तथा रणनीतिक नीति नियोजन मानव निवास का परिचय। विरासत संरक्षण, प्राकृतिक विरासत संरक्षण, उनके प्रकार एवं नीतियाँ, नियामक उपाय, सामुदायिक भागीदारी, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की अवधारणा निर्मित विरासत संरक्षण निर्धारक।</p> |
| <p>प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीयमें (क्रीड़ा/खेल- कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम पता मुहर</p> | <p>परिशिष्ट-4 प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन/नगर एवं ग्राम नियोजन खण्ड-क सामान्य अध्ययन 1- सामान्य विज्ञान 2- भारत का इतिहास 3- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 4- भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 5- भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार 6- विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन 7- अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना क्रम 8- सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता 9- उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी 10- प्रारम्भिक गणित आठवीं स्तर तक - अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित 11- परिस्थितिकी तथा पर्यावरण खण्ड-ख (नगर एवं ग्राम नियोजन) नोट:- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन के 100 प्रश्नों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के समान होगा।</p> | <p>परिस्थितिक/ऊर्जा निर्धारक, शहर की कल्पनाशीलता; शहरी स्थानों की संरचना - गतिविधियों और शहरी उपयोगों के स्थानिक मानदंड, शहरी भू-उपयोग एवं पुनरुत्थान, पुनर्वास, पुनरोद्धार- अवधारणाएँ, हस्तक्षेप, प्रक्रियाएँ, अभिकल्पना दृष्टिकोण और विधियाँ, उपकरण।</p> |
| <p>प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर</p> | <p>मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्नपत्र - सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत) प्रथम खण्ड सामान्य हिन्दी 1- अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। 2- अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द-रूप, सन्धि, समास, क्रियायें, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिह्न, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। द्वितीय खण्ड हिन्दी निबन्ध इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबन्ध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगे:- 1- साहित्य, संस्कृति 2- राष्ट्रीय विकास योजनायें/क्रियान्वयन 3- राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें/निदान 4- विज्ञान तथा पर्यावरण 5- प्राकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण 6- कृषि, उद्योग एवं व्यापार। (द्वितीय प्रश्नपत्र) (नगर एवं ग्राम नियोजन) सहायक नगर नियोजक पद हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के द्वितीय प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम</p> | <p>परिस्थितिक/ऊर्जा निर्धारक, शहर की कल्पनाशीलता; शहरी स्थानों की संरचना - गतिविधियों और शहरी उपयोगों के स्थानिक मानदंड, शहरी भू-उपयोग एवं पुनरुत्थान, पुनर्वास, पुनरोद्धार- अवधारणाएँ, हस्तक्षेप, प्रक्रियाएँ, अभिकल्पना दृष्टिकोण और विधियाँ, उपकरण।</p> |
| <p>प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर</p> | <p>स्थल नियोजन और विकास - स्थल विश्लेषण के तत्व, स्थल विकास और विन्यास, नगरीय सेवा-तंत्र के प्रमुख सिद्धान्त। 2. अनुप्रयुक्त भूविज्ञान - भूकंप, स्थल एवं नींव का चयन, भूजल। 3. नियोजन सिद्धान्त - शहरी संरचना और विकास, भू-उपयोग नियोजन, नियोजन के प्रकार, क्षेत्रीय नियोजन के सिद्धान्त, भारत में क्षेत्रीय नियोजन, विकास अवधारणा और स्थानिक अवधारणा, नियोजन एवं क्रियान्वयन संस्थाएँ, नियोजन की प्रक्रिया, भौतिक नियोजन। 4. नियोजन में सांख्यिकीय और परिमाणत्मक विधियाँ - सांख्यिकीय सूचना संग्रह और विधियाँ और प्रस्तुतीकरण, डेटा के स्रोत; प्रश्नावली अभिकल्पना, सर्वेक्षण नमूने की अभिकल्पना, स्तरीकृत नमूनाकरण तकनीक। समय श्रृंखला विश्लेषण- समय श्रृंखला में भिन्नता, संभाव्यता सिद्धान्त और संभाव्यता वितरण, सह सम्बन्ध और प्रतिगमन विश्लेषण, ची-स्क्वायर परीक्षण और भिन्नता विश्लेषण (ANOVA)। 5. नियोजन तकनीक - भारत में नियोजन प्रचलन, स्थानिक मानक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, नियोजन तकनीक, उपयोगिताएँ और नगरीय सेवा नियोजन - जल आपूर्ति प्रणाली, ठोस अपशिष्ट निपटान, वृष्टि जल प्रणाली, मूलभूत अवधारणाएँ और सिद्धान्त, स्वच्छता और सीवर प्रणाली। भूगर्भ सूचना प्रणाली मानचित्रिकरण (जीआईएस) मैपिंग-समन्वय प्रणाली, भू-संकेतीकरण और जियो-कोडिंग; जीआईएस डेटा प्रोसेसिंग (डिजिटलीकरण, टोपोलॉजी और मेटाडेटा निर्माण)। 6. मानव आवासीय अभिकल्पना- अभिकल्पना के सामाजिक/सांस्कृतिक/</p> | <p>परिस्थितिक/ऊर्जा निर्धारक, शहर की कल्पनाशीलता; शहरी स्थानों की संरचना - गतिविधियों और शहरी उपयोगों के स्थानिक मानदंड, शहरी भू-उपयोग एवं पुनरुत्थान, पुनर्वास, पुनरोद्धार- अवधारणाएँ, हस्तक्षेप, प्रक्रियाएँ, अभिकल्पना दृष्टिकोण और विधियाँ, उपकरण।</p> |
| <p>परिशिष्ट-3 (प्रारम्भिक परीक्षा) परीक्षा योजना</p> | <p>परिशिष्ट-3 (प्रारम्भिक परीक्षा) परीक्षा योजना</p> | <p>परिस्थितिक/ऊर्जा निर्धारक, शहर की कल्पनाशीलता; शहरी स्थानों की संरचना - गतिविधियों और शहरी उपयोगों के स्थानिक मानदंड, शहरी भू-उपयोग एवं पुनरुत्थान, पुनर्वास, पुनरोद्धार- अवधारणाएँ, हस्तक्षेप, प्रक्रियाएँ, अभिकल्पना दृष्टिकोण और विधियाँ, उपकरण।</p> |